

# नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ३७) काठमाडौं, असार ३२ गते २०४४ साल (अतिरिक्ताङ्क १७)

## भाग २

श्री ५ को सरकार

कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइबक्सेको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

२०४४ सालको ऐन नं. ३

स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि  
विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला परम  
नेपालप्रतापभास्कर ओजस्विराजन्य परम गौरवमय तेजस्वी  
त्रिभुवनप्रजातन्त्रश्रीपद परम उज्ज्वल कीर्तिमय नेपालश्रीपद  
परम प्रोज्ज्वल नेपालतारा परम पवित्र ॐरामपट्ट परम ज्योतिर्मय  
सुविख्यात त्रिशक्तिपट्ट परम सुप्रसिद्ध प्रबल गोरखादक्षिणबाहु  
परमाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्री  
श्रीमन्महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम्  
सदा समरविजयिनाम् ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएको छ, मात्र लागु हुनेछ।

आर्थिक वर्ष २०४४।४५ को सेवा र कार्यहरूको केही अंशको लागि सञ्चित कोषबाट पेस्कीको रूपमा केही रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष २०४४।४५ को निमित्त प्रस्तुत विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको र सो वर्षको निमित्त अनुमान गरिएको खर्चको केही अंश अगावै पेस्कीको रूपमा सञ्चित कोषबाट झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम: यस ऐनको नाम "पेस्की खर्च ऐन, २०४४" रहेको छ ।

२. आर्थिक वर्ष २०४४।४५ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रूपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार:

आर्थिक वर्ष २०४४।४५ को निमित्त अनुसूची १ बमोजिम सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची २ को कालम ४ मा र अनुसूची ३ को कालम ४ मा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जम्मा रूपैयाँ ४,५३,५२,१२,०००।-(चार अरब त्रिपन्न करोड बाउन्न लाख बाह्र हजार) मा नबढाई त्यतिसम्म रकम सञ्चित कोषबाट झिक्न र खर्च गर्न सकिनेछ ।

अनुसूची-१

नेपालको संविधान अनुसार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने

| १          | २             | ३                                 | ४                                          |
|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| क्रमसंख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                      | सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम रु. हजारमा |
| १          | १-१           | श्री ५ महाराजाधिराज तथा राजपरिवार | २,८२,५५                                    |
| २          | १-२           | राजसभा                            | २८,६०                                      |
| ३          | १-४           | महालेखा परीक्षकको विभाग           | १,५४,१०                                    |
| ४          | १-५           | सर्वोच्च अदालत                    | ६२,८१                                      |
| ५          | १-६           | लोक सेवा आयोग                     | १,७६,५१                                    |
| ६          | १-७           | निर्वाचन आयोग                     | ३८,४१                                      |
| ७          | १-८           | अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग     | २०,७२                                      |
| ८          | १-९           | महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय       | २३,२७                                      |
| ९          | ११-१          | साँवा भुक्तानी                    | ४५,८०,२४                                   |
| १०         | ११-२          | व्याज भुक्तानी                    | १,०३,६३,१२                                 |
| ११         | १२-६          | अन्य                              | ५०,००                                      |
| १२         | १२-७          | भैपरी आउने                        | १०,००                                      |
|            |               |                                   | १,५८,२०,३३                                 |

अनुसूची-२

दफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १           | २             | ३                                           | ४                           |
|-------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                                | विनियोजित रकम<br>रु. हजारमा |
| १           | १-३           | राष्ट्रिय पञ्चायत                           | ४२,४६                       |
| २           | १-१०          | पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति              | ८६,५०                       |
| ३           | २-१           | मन्त्रिपरिषद्                               | २०,६६                       |
| ४           | २-२           | श्री ५ को सरकारको सचिवालय                   | २,६८,६३                     |
| ५           | २-३           | जिल्ला प्रशासन                              | २,०४,६०                     |
| ६           | २-४           | प्रहरी                                      | १५,८५,३४                    |
| ७           | २-५           | कारागार                                     | १,१२,६२                     |
| ८           | २-६           | विविध                                       | १,३५,२२                     |
| ९           | २-७           | प्रशासन सुधार                               | ५,००                        |
| १०          | ३-१           | मालपोत                                      | १,४८,६०                     |
| ११          | ३-२           | भन्सार                                      | १,१२,६०                     |
| १२          | ३-३           | अन्तःशुल्क                                  | ४३,७४                       |
| १३          | ३-४           | कर                                          | ५२,००                       |
| १४          | ३-५           | राजस्व न्यायाधिकरण                          | १,५६                        |
| १५          | ४-१           | योजना                                       | ६,११                        |
| १६          | ४-२           | तथ्याङ्क                                    | ७,३६                        |
| १७          | ४-३           | महालेखा नियन्त्रक कार्यालय                  | १,२६,३५                     |
| १८          | ५-१           | अदालत                                       | २,५०,०६                     |
| १९          | ५-२           | अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन<br>अदालत | १,४६                        |
| २०          | ६-१           | वैदेशिक सेवा                                | २,६४,०३                     |
| २१          | ६-२           | विविध                                       | ५८,६१                       |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| १          | २             | ३                                               | ४                           |
|------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| क्रमसंख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                                    | विनियोजित रकम<br>रु. हजारमा |
| २२         | ७-१           | रक्षा                                           | २२,८१,३३                    |
| २३         | ७-२           | विविध                                           | ४,४२,०५                     |
| २४         | ८-१           | शिक्षा                                          | ६,०४,६६                     |
| २५         | ८-२           | स्वास्थ्य                                       | ७,७३,१०                     |
| २६         | ८-३           | पिउने पानी                                      | ५३,५१                       |
| २७         | ८-४           | पञ्चायत तथा स्थानीय विकास                       | १,०४,५५                     |
| २८         | ८-५           | अन्य सामाजिक सेवाहरू                            | १,८०,६१                     |
| २९         | ९-१           | कृषि                                            | ३१,०७                       |
| ३०         | ९-२           | सिंचाइ                                          | ३१,४८                       |
| ३१         | ९-३           | भूमिसुधार                                       | १,०५,३३                     |
| ३२         | ९-४           | नापी                                            | ४७,२०                       |
| ३३         | ९-५           | वन                                              | ५६,११                       |
| ३४         | ९-६           | उद्योग तथा खानी                                 | ५०,५६                       |
| ३५         | ९-७           | सञ्चार                                          | ४,७७,८६                     |
| ३६         | ९-८           | यातायात                                         | ३,४४,६०                     |
| ३७         | ९-१०          | अन्य आर्थिक सेवाहरू                             | १६,२४                       |
| ३८         | १०-१          | ऋण र लगानी                                      | ३७,५३                       |
| ३९         | १२-१          | विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च | २,००,००                     |
| ४०         | १२-२          | निवृत्तभरण, भत्ता तथा उपदान                     | ३,३३,३३                     |
| ४१         | १२-३          | अतिथि सत्कार                                    | ३,३३                        |
| ४२         | १२-४          | आकस्मिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार                | ६६                          |
| ४३         | १२-५          | मुआब्जा                                         | ३,३३                        |
| ४४         | १२-६          | अन्य                                            | ६,५१,६७                     |
| ४५         | १२-७          | भैपरी आउने                                      | २,६३,३३                     |
|            |               |                                                 | १,१२,६५,४७                  |

अनुसूची-३  
दफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १           | २             | ३                         | ४                           |
|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य              | विनियोजित रकम<br>रु. हजारमा |
| १           | २-७           | प्रशासन सुधार             | १,१०,६१                     |
| २           | ४-१           | योजना                     | ७,५८                        |
| ३           | ४-२           | तथ्याङ्क                  | १७,८६                       |
| ४           | ८-१           | शिक्षा                    | ४४,२७,६७                    |
| ५           | ८-२           | स्वास्थ्य                 | १६,४४,३४                    |
| ६           | ८-३           | पिउने पानी                | १०,६७,०८                    |
| ७           | ८-४           | पञ्चायत तथा स्थानीय विकास | १६,५६,५२                    |
| ८           | ८-५           | अन्य सामाजिक सेवाहरू      | ५,१६,६५                     |
| ९           | ९-१           | कृषि                      | ३०,६२,१३                    |
| १०          | ९-२           | सिंचाइ                    | २६,७४,०८                    |
| ११          | ९-३           | भूमिसुधार                 | ८३,५६                       |
| १२          | ९-४           | नापी                      | २,६६,०३                     |
| १३          | ९-५           | वन                        | १८,४६,५८                    |
| १४          | ९-६           | उद्योग तथा खानी           | १७,६३,३३                    |
| १५          | ९-७           | सञ्चार                    | १०,८४,००                    |
| १६          | ९-८           | यातायात                   | ५७,२४,७३                    |
| १७          | ९-९           | विद्युत्                  | ५५,६४,३०                    |
| १८          | ९-१०          | अन्य आर्थिक सेवाहरू       | ६,७२,४५                     |
| १९          | १२-६          | अन्य                      | ६,११,१६                     |
| २०          | १२-७          | भैपरी आउने                | ३,१६,६६                     |
|             |               |                           | ३,४०,८६,६५                  |

लालमोहर सदर मिति:- २०४४।३।३२।५

(६)

आज्ञाले,  
ध्रुववरसिंह थापा  
श्री ५ को सरकारको सचिव

श्री ५ को सरकारको छापाखाना, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित ।  
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएको छ, मात्र लागु हुनेछ।